

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : यह स्कीम १९४६ में रखी गई थी। उसके बाद सी० पी० डब्ल्यू० डी० ने कहा कि इस जमीन की किसी और काम के लिये जरूरत है। इस लिए वह स्कीम हटा कर दी गई।

श्री बी० आर० बर्मा : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५५-५६ के बजट में धोबी कालोनी बनाने का कोई प्रबन्ध किया जायेगा ?

राजकुमारी अमृत कौर : इन्फ्रूवमेंट ट्रस्ट से एंसी कोई स्कीम नहीं आई है।

#### CARRYING OF MAIL BAGS

\*1197. Shri I. Eacharan: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether the carrying of mail bags in private buses is obligatory on the part of bus owners while granting route permits by the Transport authority;

(b) whether any difficulties have been experienced in the matter; and

(c) if so, the steps taken to remove the difficulties?

The Deputy Minister of Communications (Shri Raj Bahadur): It is not obligatory on the part of all private bus owners to carry mails. However, in certain states a condition is attached to the route permits that the permit holder should carry mails if required to do so.

(b) No.

(c) Does not arise.

Shri I. Eacharan: May I know whether any remuneration has been given to these bus owners, and if so, on what basis?

Shri Raj Bahadur: We invite tenders for carrying mails and the tender which is most advantageous to the Department is accepted.

Shri I. Eacharan: Has it come to the notice of the Government that instead of giving money to the bus owners, the bus owners give money to the Government for carrying this mail on certain routes?

Shri Raj Bahadur: That is so. In certain cases, it has so happened. The bus owners agree to do so because it facilitates the procurement of route permits from the concerned State Government for them.

#### रत्नगाड़ियों के लिचे सशस्त्र रक्षक

\*११९९. श्री एम० एन० सिंह : क्या रत्नबे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोक्त रत्नबे के भूतपूर्व आ० टी० संक्शन पर मालगाड़ियों के लिये रात में सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था नहीं की जाती है;

(ख) क्या रात की ह्यूटी वाले गाड़ों ने कितनी ही बार एंसे रक्षकों की मांग की है, और

(ग) यदि हां, तो उन की प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रत्नबे तथा परिचहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनबाज खां) : (क) रात में चलने वाली कुछ मालगाड़ियों पर सशस्त्र रक्षकों की धधावश्यक व्यवस्था की गयी है, किन्तु यह प्रबन्ध रात में चलने वाली सभी गाड़ियों पर नहीं है।

(ख) हां, बरौनी जंक्शन के कुछ गाड़ों की तरफ से छपरा और कीटहार के बीच चलने वाली गाड़ियों के लिये।

(ग) छपरा और कीटहार के बीच चलने वाली पांचों प्रमुख गाड़ियों पर रात में सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री एम० एन० सिंह : माल गाड़ियां जिन पर सशस्त्र रक्षकों का प्रबन्ध नहीं किया जाता और इस कारण उनमें जो चोरियां हो जाती हैं उनको रोकने के लिए सरकार क्या इंतजाम करती है ?